राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007

2007 का अधिनियम सं. 14

असाधारण राज-पत्र भाग 4 (क) दिनांक 1.11.2007

अधिसूचना

सं.प. 2(12)विधि/2/2007 जयपुर, नवम्बर 1, 2007

राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को प्राप्त हुई, एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 14)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में पुलिस बल से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम विधेयक।

यत: जनता के मानवाधिकारों का आदर और संप्रवर्तन करना और उनके नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करना विधि सम्मत शासन का प्राथमिक वास्ता है;

और यत: अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करते हुए समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की सुरक्षा करते हुए और नागरिकों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के जवाब में निष्पक्ष और दक्ष पुलिस सेवा उपलब्ध कराना राज्य की संविधानिक बाध्यता है;

और यत: पुलिस कार्मिकों के ऐसे कृत्यकरण का वृत्तिक रूप से संगठित, सेवोन्मुखी, बाह्य प्रभावों से मुक्त और विधि के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है;

और यत: पुलिस व्यवस्था की उभरती चुनौतियों और राज्य की सुरक्षा, सुशासन की अनिवार्यताओं और मानवाधिकारों के प्रति आदर को ध्यान में रखते हुए पुलिस की भूमिका, उसके कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों को पुन: परिभाषित करना समीचीन है;

और यत: पुलिस को एक दक्ष, प्रभावी, जन मित्रवत् और प्रत्युत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए समुचित रूप से सशक्त किया जाना आवश्यक है;

अत: अब, भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य और राज्य के बाहर तैनात राज्य के पुलिस बल पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "मुख्य सचिव" से राज्य सरकार का मुख्य सचिव अभिप्रेत है;

(ख) "साइबर अपराध" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन सभी अपराध और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे कम्प्यूटर, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, एटीएम आदि के उपयोग द्वारा किये गये कोई भी अन्य अपराध;

(ग) "पुलिस महानिदेशक" से राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के सम्पूर्ण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए इस रूप में नियुक्त पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

---

1. राजस्थान राज-पत्र असाधारण भाग 4(क) दिनांक 1.11.2007 में प्रकाशित हुआ।

(घ) ''जिला पुलिस अधीक्षक'' से किसी पुलिस जिले का भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''घरेलू सहायक'' से पारिश्रमिक के लिए या अन्यथा किसी गृहस्थी में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) ''नैतिक अधमता'' से ऐसे किसी भी अपराध में अन्तर्वलितता अभिप्रेत है जो छल, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, किसी महिला की लज्जा भंग करने, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 26) में यथापरिभाषित अवैध व्यापार, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) में यथापरिभाषित अनैतिक दुर्व्यापार, नियोजित हिंसा या राज्य के विरुद्ध ऐसे किसी अपराध से संबंधित है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 6 में वर्णित है;

(छ) ''संगठित अपराध'' में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सदोष या अविधिपूर्ण अभिलाभ के उनके सामान्य आशय के अनुसरण में किया गया कोई अपराध सम्मिलित है;

(ज) ''चौकी'' से किसी पुलिस थाने की अधिकारिता के भीतर कोई पुलिस चौकी अभिप्रेत है;

(झ) ''पुलिस अधिकारी'' से राज्य के पुलिस बल का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ञ) ''पुलिस कार्मिक'' में पुलिस अधिकारी और ऐसे अन्य सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस महानिदेशक या उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी है;

(ट) ''पुलिस थाना'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अधीन पुलिस थाने के रूप में घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ठ) ''अधीक्षण की शक्ति'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है सभी प्रशासनिक मामलों में निदेशन, मार्गदर्शन और अनुदेश देने की शक्ति और उसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अन्तर्विष्ट अन्वेषण से संबंधित उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश को निष्प्रभावी करने, उलटने, विखण्डित या पुनरीक्षित करने की शक्ति भी होगी;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''लोक स्थान'' से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिस तक जनता की पहुंच है;

(ण) ''रेल क्षेत्र'' से रेल पथों से अनुलग्न सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में के क्षेत्र अभिप्रेत है जिनमें राजस्थान राज्य के भीतर प्रत्येक रेल स्टेशन का परिसर सम्मिलित है और उसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में पथों पर की रेलें, चाहे वे चल रही हों या स्थिर हों, भी होगी;

(त) ''पंक्ति'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है अधीनस्थ पंक्ति और पर्यवेक्षण पंक्ति;

(थ) ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''विशेष प्रकोष्ठ'' से अपराध के प्रवर्ग विशेष में कार्यवाही करने के लिए या समुदाय, जिसके अन्तर्गत अपराध से पीड़ित व्यक्ति भी है, को बेहतर सेवा देने के लिए सृजित कोई प्रकोष्ठ अभिप्रेत है;

(ध) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(न) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(प) ''अधीनस्थ पंक्ति'' से सहायक पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे की सभी पंक्तियां अभिप्रेत हैं;

(फ) ''पर्यवेक्षण पंक्ति'' से पुलिस सहायक अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक या उससे ऊपर की पंक्तियां अभिप्रेत हैं;

(ब) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''किरायेदार'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कोई मकान या परिसर या उसका कोई भाग किराये पर दिया गया है चाहे कोई पट्टा या किराया विलेख निष्पादित किया गया हो या नहीं; और

(भ) ''ग्राम रक्षक'' से इस अधिनियम की धारा 48 के अधीन इस रूप में सूचीबद्ध कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में उन्हें दिये गये हैं।

अध्याय 2

पुलिस बल का गठन और संगठन

3. राज्य के लिए पुलिस बल का गठन.— (1) राज्य के लिए पुलिस बल होगा।

(2) पुलिस बल का गठन पुलिस अधिकारियों की ऐसी पंक्तियों और संख्या से मिल कर होगा और उसके ऐसे संगठन होंगे जो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(3) पुलिस बल के संगठन में प्रशिक्षण संस्थाएं, अनुसंधान और विकास ब्यूरो, तकनीकी और समर्थक सेवाएं, आसूचना और आपराधिक अन्वेषण यूनिटें और ऐसी अन्य संस्थाएं और यूनिटें सम्मिलित हो सकेंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।

4. पुलिस रेंजें.— राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, राज्य के महानगर क्षेत्र से भिन्न सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र को एक या अधिक पुलिस रेंजों में विभाजित कर सकेगी।

5. महानगर क्षेत्र.— राज्य सरकार, राज्य में के ऐसे किसी भी क्षेत्र को, जिसमें ऐसा कोई शहर या नगर समाविष्ट हो जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन यथाशक्य शीघ्र महानगर क्षेत्र घोषित करेगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा में अभिव्यक्ति "जनसंख्या" से अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हों, में यथाअभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है।

6. पुलिस जिला और पुलिस जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ.— (1) राज्य सरकार राज्य के भीतर के महानगर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए किसी भी क्षेत्र को पुलिस जिले के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पुलिस जिले में एक या अधिक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित कर सकेगी और ऐसे विशेष प्रकोष्ठ के भारसाधक के रूप में उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

7. वृत्त.— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक पुलिस जिले को एक या अधिक वृत्तों में विभाजित कर सकेगी।

8. पुलिस थाना.— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी वृत्त में एक या अधिक पुलिस थाने सृजित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक पुलिस थाने की अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार पुलिस थाने के भारसाधक के रूप में उप पुलिस निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी पुलिस थाने की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर एक या अधिक चौकियां स्थापित कर सकेगी और ऐसी चौकी की प्रादेशिक अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

9. रेल क्षेत्रों से संबंधित विशेष उपबंध.— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के रेल क्षेत्रों के ऐसे भाग समाविष्ट करते हुए एक या अधिक पुलिस जिले सृजित कर सकेगी जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

10. विशेष पुलिस अधिकारी.— (1) इस निमित्त विहित नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, लिखित आदेश द्वारा, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए नियुक्त कर सकेगा जो नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

(2) इस प्रकार नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को वही शक्तियां, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा और वह उन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए दायी होगा ओर उन्हीं शास्तियों के अध्यधीन होगा और उन्हीं प्राधिकारियों का अधीनस्थ होगा जिनका सामान्य पुलिस अधिकारी होता है।

11. अतिरिक्त पुलिस अधिकारी.— (1) राज्य सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसी रीति से अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकेगा जो विहित की जाये।

(2) अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती या प्रतिनियुक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर, जो उसकी आवश्यकता दर्शाये, की जा सकेगी और ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति पर उपगत व्यय ऐसी तैनाती या प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करने वाले व्यक्ति से विहित रीति से वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय 3

पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन

12. पुलिस बल पर अधीक्षण.— समस्त मामलों के संबंध में पुलिस बल के अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

13. पुलिस महानिदेशक. — (1) राज्य सरकार पुलिस बल के समग्र नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के लिए पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किये जायें।

(2) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति महानिदेशक की पंक्ति के अधिकारियों और ऐसे अधिकारियों, जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के उपबंधों के अनुसार तत्प्रयोजन के लिए गठित समिति की छानबीन के पश्चात् महानिदेशक की पंक्ति में पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये हों, से मिलकर बने पैनल में से की जायेगी:

परन्तु अधिकारियों का पैनल राज्य में महानिदेशक की पंक्ति के लिए स्वीकृत काडर पदों की संख्या के दुगुने से अधिक नहीं होगा।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस महानिदेशक को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से-

(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी भी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलंबित कर दिये जाने पर;

(घ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण पुलिस महानिदेशक के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में उसकी अक्षमता पर;

(ङ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये;

हटाया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक की सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी और पुलिस महानिदेशक के परामर्श से ऐसे अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और शक्तियां अवधारित कर सकेगी।

14. पुलिस रेंज में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन.— (1) राज्य सरकार, उप पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को किसी पुलिस रेंज के भारसाधक के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) किसी पुलिस रेंज में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उस पुलिस रेंज के भारसाधक अधिकारी में निहित होगी।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस रेंज के इस प्रकार नियुक्त भारसाधक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस रेंज के भारसाधक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,—

(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर;

(घ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;

(ङ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये, हटाया जा सकेगा।

15. महानगर क्षेत्रों में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन.— (1) राज्य सरकार, महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त नियुक्त करेगी।

(2) पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा सिफारिश किये गये अधिकारियों के पैनल में से नियुक्त किया जायेगा—

(क) मुख्य सचिव,

(ख) राज्य के गृह विभाग का भारसाधक सचिव,

(ग) राज्य के कार्मिक विभाग का भारसाधक सचिव,

(घ) पुलिस महानिदेशक।

(3) किसी महानगर में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस आयुक्त में निहित होगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त पुलिस आयुक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व और प्राधिकार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायें।

(5) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस आयुक्त की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) उप-धारा (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,—

(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर;

(घ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;

(ङ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये, हटाया जा सकेगा।

(7) राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी और आयुक्त के परामर्श से ऐसे अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और शक्तियां अवधारित कर सकेगी।

16. किसी पुलिस जिले में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन.— (1) राज्य सरकार किसी पुलिस जिले के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु किसी महानगर क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस आयुक्त के रूप में पदाभिहित किया जायेगा और इस अधिनियम में जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में तदनुसार किया जायेगा।

(2) किसी पुलिस जिले में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक में निहित होगी।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,—

(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर;

(घ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;

(ङ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये, हटाया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार जिला पुलिस अधीक्षक की सहायता करने के लिए एक या अधिक अपर, उप या सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(6) उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जाएं।

17. किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन.— (1) राज्य सरकार किसी उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को किसी पुलिस वृत्त का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु किसी महानगर क्षेत्र में किसी पुलिस वृत्त के भारसाधक को सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में पदाभिहित किया जायेगा और इस अधिनियम में किसी पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में तदनुसार किया जायेगा।

(2) किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस वृत्त के भारसाधक अधिकारी में निहित होगी।

(3) पुलिस वृत्त के भारसाधक की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस वृत्त के भारसाधक को राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके पद से,—

(क) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि पर या भ्रष्टाचार या नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी मामले में न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये जाने पर;

(ख) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 या किसी अन्य सुसंगत नियम के उपबंधों के अधीन सेवा से उसके पदच्युत कर दिये जाने, हटा दिये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार उसके सेवा से निलम्बित कर दिये जाने पर;

(घ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण उसके कृत्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;

(ङ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(च) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर, जो लिखित में अभिलिखित की जाये, हटाया जा सकेगा।

18. रेल क्षेत्रों में पुलिस बल का पर्यवेक्षण.— (1) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को रेल क्षेत्रों का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी।

(2) रेल क्षेत्रों में पुलिस बल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रेल क्षेत्रों के भारसाधक पुलिस महानिरीक्षक में निहित होगी।

(3) राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को रेल क्षेत्रों के पुलिस जिले का भारसाधक नियुक्त कर सकेगी और नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन की शक्ति, पुलिस महानिदेशक के सम्पूर्ण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार नियुक्त अधिकारी में निहित होगी।

19. क्षेत्र ड्यूटी पर के कतिपय पुलिस अधिकारियों की अवधि.— (1) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के रूप में या किसी अपराध अन्वेषण यूनिट के भारसाधक अधिकारी के रूप में पदस्थापित किसी पुलिस अधिकारी की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित के परिणामस्वरूप स्थानांतरित किया जा सकेगा:—

(क) उच्चतर पद पर उसकी पदोन्नति;

(ख) उसकी अधिवर्षिता;

(ग) न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि;

(घ) किसी दाण्डिक अपराध में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने;

(ङ) उसको लागू अनुशासनिक कार्रवाइयों से संबंधित नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किये जाने, हटाये जाने, सेवोन्मुक्त किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निम्नतर पंक्ति में अवनत कर दिये जाने के दण्ड पर;

(च) खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा से उसके निलम्बन पर;

(छ) शारीरिक या मानसिक रुग्णता के कारण अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी अक्षमता पर;

(ज) कोई रिक्ति भरने के लिए;

(झ) उसके स्वयं के अनुरोध पर; या

(ञ) ऐसी किसी प्रशासनिक आकस्मिकता पर जो लिखित में अभिलिखिता की जायेगी।

20. अधीनस्थ पंक्तियों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन.— (1) राज्य सरकार अधीनस्थ पंक्तियों में पुलिस अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्तियों के किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में असावधान या उपेक्षावान या उसके अनुपयुक्त या किसी अवचार का दोषी पाये जाने पर सेवा से पदच्युत, हटा, पंक्ति में अवनत कर सकेगा या (दण्ड कवायद, अतिरिक्त गार्ड, फटीग या अन्य ड्यूटी के साथ उसके बिना) पन्द्रह दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए क्वार्टर में परिरुद्ध कर सकेगा।

अध्याय 4

राज्य पुलिस आयोग और पुलिस स्थापन बोर्ड

21. राज्य पुलिस आयोग.— (1) राज्य सरकार एक राज्य पुलिस आयोग (जिसे इसमें आगे ''आयोग'' कहा गया है) स्थापित करेगी जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) गृह विभाग का प्रभारी मंत्री आयोग का अध्यक्ष होगा और आयोग के अन्य सदस्य निम्नलिखित होंगे:—

(क) राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या, यदि प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं हो तो राज्य विधानसभा में सबसे बड़े प्रतिपक्ष दल (अध्यक्ष द्वारा मान्य एकल दल या दलों के समूह) का नेता;

(ख) मुख्य सचिव;

(ग) गृह विभाग का प्रभारी सचिव;

(घ) पुलिस महानिदेशक; और

(ङ) लोक जीवन के किसी भी क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त तीन व्यक्ति (जिन्हें इसमें इसके आगे "स्वतंत्र सदस्य" कहा गया है) जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे:

परन्तु कम से कम एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्गों में से होगा।

(3) राज्य सरकार, आयोग के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जो पंक्ति में अपर महानिदेशक से नीचे का नहीं होगा।

(4) आयोग अपनी बैठकों, गणपूर्ति और कारबार के स्वयंवहार के संबंध में ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें।

22. स्वतंत्रत सदस्यों के चयन के लिए समिति.— स्वतंत्र सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक पैनल की सिफारिश पर की जायेगी जिसमें मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होगा और उसके सदस्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता या प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं हो तो राज्य विधानसभा में सबसे बड़े प्रतिपक्ष दल (अध्यक्ष द्वारा मान्य एकल दल या दलों के समूह) का नेता;

(ख) गृह विभाग का प्रभारी मंत्री;

(ग) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

23. स्वतंत्रत सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.— कोई भी व्यक्ति आयोग के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नियुक्त किय जाने के लिए पात्र नहीं होगा यदि—

(क) वह भारत का नागरिक नहीं हो;

(ख) वह न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो या उसके विरुद्ध नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के आरोप किसी न्यायालय द्वारा विरचित किये गये हों;

(ग) वह किसी लोक सेवा से पदच्युत किया गया हो, हटाया गया हो या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो;

(घ) वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है;

(ङ) वह विकृत चित्त है; या

(च) वह संसद या राज्य विधान-मण्डल या किसी स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है या किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल के संसक्त किसी संगठन का पदाधिकारी है या रहा है या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध किसी संगठन का सदस्य है या रहा है।

24. स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि और विशेषाधिकार.— (1) स्वतंत्र सदस्य की पदावधि उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी और वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(2) स्वतंत्र सदस्य अवैतनिक हैसियत में सेवा करेगा और ऐसे सदस्य को दिये जाने वाले विशेषाधिकार और सुविधाएं ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

25. स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना.— राज्य सरकार द्वारा किसी स्वतंत्र सदस्य को—

(क) निम्नलिखित किसी भी आधार पर—

(i) आयोग की तीन क्रमवर्ती बैठकों में सम्मिलित होने में समुचित हेतुक के बिना विफल रहने;

(ii) शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण अक्षमता; या

(iii) सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अन्यथा अक्षम होने;

(ख) धारा 22 में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर; या

(ग) यदि वह धारा 23 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है—

हटाया जा सकेगा।

26. आयोग के कृत्य.— आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगा, अर्थात्—

(क) दक्ष और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था के उन्नयन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) पुलिस बल के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कार्य-उपदर्शकों की पहचान करने में राज्य सरकार की सहायता करना;

(ग) पुलिस बल के कार्य पर कालिक तौर पर अपने विचार संसूचित करना;

(घ) पुलिस व्यवस्था के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाना और उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

(ङ) राज्य के अपराधों का विश्लेषण करना और निवारक उपाय सुझाना;

(च) पांच वर्ष की कालावधि के लिए, उक्त कालावधि के दौरान प्राप्त किये जाने के लिए ईप्सित पुलिस व्यवस्था के उद्देश्यों की पहचान करते हुए और उनके क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना उपवर्णित करते हुए युक्तियोजना बनाना;

(छ) विभिन्न पंक्तियों तथा प्रवर्गों के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति तैयार करना; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

27. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.— (1) आयोग प्रत्येक वर्ष के अन्त में राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान के अपने कार्य की और पुलिस बल के कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष बजट सत्र में वार्षिक रिपोर्ट रखवायेगी।

28. पुलिस स्थापना बोर्ड.— (1) राज्य सरकार, एक पुलिस स्थापन बोर्ड (जिसे इसमें आगे "बोर्ड" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), गठित करेगी जिसमें इसके अध्यक्ष के रूप में पुलिस महानिदेशक और सदस्यों के रूप में पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के चार पुलिस अधिकारी होंगे।

(2) बोर्ड निम्नलिखित कृत्य करेगा:—

(क) सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार कांस्टेबलों की भर्ती;

(ख) सुसंगत नियमों के अनुसार अधीनस्थ पंक्तियों में पदोन्नति;

(ग) राज्य सरकार के अनुमोदन से अधीनस्थ पंक्तियों के स्थानांतरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना;

(घ) एक रेंज से दूसरी रेंज में अधीनस्थ पंक्तियों का स्थानान्तरण और उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति में पुलिस अधिकारियों का अन्तरण;

(ङ) अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति में पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना; और

(च) पुलिस कार्मिकों की शिकायतों का विश्लेषण और राज्य सरकार को उपचारी उपाय सुझाना।

(3) कांस्टेबलों की भर्ती के लिए और अधीनस्थ पंक्तियों में पदोन्नति के लिए बोर्ड पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा।

(4) पुलिस स्थापन बोर्ड अपनी बैठकों, गणपूर्ति और कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें।

अध्याय 5

पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व

29. पुलिस अधिकारियों के कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व.— (1) पुलिस अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे:—

(क) विधि का प्रवर्तन करना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकारों, गरिमा और मानवाधिकारों का संरक्षण करना;

(ख) अपराध और लोक न्यूसेंस का निवारण करना;

(ग) लोक व्यवस्था बनाये रखना;

(घ) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना, आतंककारी क्रियाकलापों का निवारण और नियंत्रण करना और लोक शांति के भंग का निवारण करना;

(ङ) लोक संपत्ति का संरक्षण करना;

(च) अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्यायालय में पेश करना;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना जिन्हें वह पकड़ने के लिए विधितः प्राधिकृत है और जिनके पकड़े जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं;

(ज) प्राकृतिक या मानवकृत आपदाओं से उत्पन्न होने वाली स्थितियों में जनता की मदद करना और राहत उपायों में अन्य एजेंसियों की सहायता करना;

(झ) जनता और यानों के व्यवस्थित संचलन को सुकर बनाना और यातायात को नियंत्रित और विनयमित करना;

(ञ) लोक शांति को प्रभावित करने वाली और अपराध से संबंधित आसूचना एकत्र करना;

(ट) लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुरक्षा उपलब्ध करना; और

(ठ) ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो उसे विधि द्वारा या किसी भी विधि के अधीन ऐसे निदेश जारी करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा आदिष्ट किये जायें;

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई प्राधिकारी पुलिस अधिकारियों को ऐसे अन्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें।

30. पुलिस के सामाजिक दायित्व.— प्रत्येक पुलिस अधिकारी-

(क) जनता के सदस्यों से विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय सम्यक् शिष्टता और शालीनता से व्यवहार करेगा;

(ख) जनता के सदस्यों विशिष्टतया वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं,बालकों और शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलांग व्यक्तियों, जो सड़कों या अन्य लोक स्थानों पर असहाय स्थिति में पाये जाते हैं, का मार्गदर्शन और सहायता करेगा;

(ग) अपराध और सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायेगा;

(घ) लोक स्थानों और लोक परिवहन में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न, जिसमें पीछा करना, आपत्तिजनक भाव-भंगिमा, संकेत, फब्तियां या किसी भी रूप में किया जाने वाला उत्पीड़न सम्मिलित है, का निवारण करेगा; और

(ङ) जनता के सदस्यों विशिष्टतया महिलाओं, बालकों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को विधिपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण- "वरिष्ठ नागरिक" से पैंसठ वर्ष और उससे अधिक की आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

31. संज्ञेय मामलों में इत्तिला का अभिलिखित किया जाना.— (1) पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध के किये जाने के संबंध में प्रत्येक इत्तिला को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अनुसार तुरन्त प्राप्त और अभिलिखित करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे किन्हीं भी तथ्यों की सूचना भेजता है या देता है जिनसे प्रथमदृष्ट्या कोई संज्ञेय अपराध गठित होता है और अभिकथन करता है कि अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने इत्तिला अभिलिखित करने से इनकार कर दिया है तो जिला पुलिस अधीक्षक उक्त पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के विरुद्ध नियमों के अनुसार तुरन्त अनुशासनिक कार्रवाई करेगा या करवायेगा।

(3) उक्त अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिनिर्णीत कोई दण्ड संबंधित अधिकारी के सेवा अभिलेख में अभिलिखित किया जायेगा और जब उसकी क्षमता और निष्पादन का निर्णयन अपेक्षित हो तब सदैव उस पर विचार किया जायेगा।

32. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन.— कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विधि द्वारा या किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को समनुदिष्ट किसी भी कर्तव्य का पालन कर सकेगा और ऐसे अधीनस्थ पर अधिरोपित किसी भी कर्तव्य की दशा में वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अधीनस्थ की किसी भी कार्रवाई में अपनी स्वयं की या उसकी कमान या प्राधिकार के अधीन विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की कार्रवाई द्वारा तब सहायता, अनुपूर्ति कर सकेगा, उसे अधिक्रमित या रोक सकेगा जब वह उसे विधि को अधिक पूर्ण या सुविधाजनक प्रभाव देने या उसके किसी भी अतिलंघन से बचने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

33. पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर होंगे.— इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी को सदैव ड्यूटी पर समझा जायेगा।

34. पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकेगा.— प्रत्येक पुलिस अधिकारी को किसी भी समय राज्य के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकेगा।

35. पुलिस अधिकारियों का अन्य नियोजन में नियोजित न होना.— कोई भी पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों से भिन्न किसी भी प्रकार के नियोजन या कार्यालय में नियोजित नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अभिव्यक्तः लिखित में अनुज्ञात न किया जाये।

36. पुलिस अधिकारी का ड्यूटी से नहीं हटना.— कोई भी पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से स्वयं को हटाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दी गयी हो।

37. पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सूचना रख सकेंगे.— किसी पुलिस अधिकारी के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई सूचना रखना और समन, वारंट, तलाशी वारंट या ऐसी अन्य वैद्य आदेशिका, जो अपराध कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सके, के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा।

38. पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेंगे.— (1) किसी भी आदावाकृत संपत्ति का प्रभार लेना और अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में उसकी तालिका देना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा।

(2) ऐसी संपत्ति के व्ययन की रीति पर होगी जो विहित की जाये।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए "सम्पत्ति" से कोई जंगम सम्पत्ति, धन या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत होगी।

39. पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे.— प्रत्येक पुलिस थाने या चौकी के भारसाधक अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाये, एक साधारण डायरी रखे।

40. राज्य सरकार विवरणियों का प्ररूप विहित कर सकेगी.— (1) राज्य सरकार, उसे पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप और रीति विहित कर सकेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक, अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों के प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

41. वर्दी, अधिकार चिह्न, साजसज्जा आदि.— (1) राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों या, यथास्थिति, पुलिस अधिकारियों के किसी वर्ग के लिए वर्दी, अधिकार चिह्न और साजसज्जा विहित कर सकेगी।

(2) पुलिस महानिदेशक वर्दी पहनने और अधिकार चिह्न और साजसज्जा रखने के लिए समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा।

अध्याय 6

पुलिस व्यवस्था के लिए विशेष उपबंध

42. अपराध अन्वेषण यूनिटें.— (1) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रत्येक पुलिस थाने, जो वह समय-समय पर विनिश्चित करे, में पृथक् अपराध अन्वेषण यूनिट, जिसका प्रधान पुलिस उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी होगा, सृजित कर सकेगी:

परन्तु महानगर क्षेत्र में ऐसी अपराध अन्वेषण यूनिट राज्य सरकार द्वारा किसी महानगर क्षेत्र की अधिसूचना से पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के भीतर-भीतर स्थापित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक या किसी भी पुलिस जिले में साइबर अपराधों, संगठित अपराधों और ऐसे अपराधों, जो पुलिस महानिदेशक द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाऐं, के अन्वेषण के लिए एक या अधिक विशेष अपराध अन्वेषण यूनिटें, जिनका प्रधान पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी होगा, सृजित कर सकेगी।

(3) ऐसी यूनिटों में पदस्थापित अधिकारियों को अति विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेश्क की अनुज्ञा के सिवाय कोई भी अन्य कर्तव्य समनुदिष्ट नहीं किया जायेगा।

43. लोक स्थान आरक्षित करने और नाका लगाने की शक्ति.— ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें-

(क) जिला पुलिस अधीक्षक लोक नोटिस द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए किसी मार्ग या अन्य लोक स्थान को अस्थायी रूप से आरक्षित कर सकेगा और इस प्रकार आरक्षित क्षेत्र से व्यक्तियों और यानों के संचलन को विनियमित कर सकेगा; और

(ख) जिला पुलिस अधीक्षक, आम जनता के हित में लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए या लोक सड़कों और मार्गों पर नाकों और अन्य आवश्यक संरचनाएं खड़ी करने के लिए या किसी अपराध का निवारण या पता लगाने के लिए यानों या उनके अधिभोगियों की जांच करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

44. आदेश का परिरक्षण.— (1) ऐसी जांचों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी लोक सड़कों या लोक मार्गों या आम रास्तों पर सभी सभाओं या जुलूसों को विनियमित करने के लिए साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और वह समय जब ऐसे जुलूस गुजर सकेंगे, विहत कर सकेगा:

परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का इस बात का समाधान हो जाने पर कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसी सड़क, मार्ग या आम रास्ते में कोई सभा आयोजित करने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने के लिए आशयित है जो यदि अनियंत्रित रहे जो शांतिभंग होने की संभावना है तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने का निदेश कर सकेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी शर्तों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, अध्यपेक्षित अनुज्ञा दे सकेगा:

परन्तु वह किसी ऐसी सड़क, मार्ग या आम रास्ते में कोई ऐसी सभा आयोजित करने या एकत्र करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेगा जिससे उसकी राय में शांति भंग होने की सम्भावना हो।

(3) कोई भी पुलिस अधिकारी, जिस पर किसी जन सभा या जुलूस को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है, ऐसे किसी भी जुलूस को, जिसे उप-धारा (2) में उपदर्शित अनुज्ञा प्राप्त न हो या जो उसकी राय में अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता हो, रोक सकेगा और ऐसे किसी भी जुलूस या ऐसी किसी सभा को तितर-बितर होने का आदेश दे सकेगा।

(4) ऐसे किसी भी जुलूस या सभा को, जो अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश की उपेक्षा करती है या मानने से इनकार करती है, विधिविरुद्ध जमाव समझा जायेगा।

(5) जिला पुलिस अधीक्षक आम जनता के हित में किसी लोक स्थान में प्रवेश या निकास या प्रचालन का समय विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

45. सूचना प्राप्त करने की शक्ति.— जिला पुलिस अधीक्षक, आदेश द्वारा, किसी गृहस्थी, दुकान या लोक परिसर के प्रत्येक स्वामी से किसी किरायेदार या घरेलू सहायक का ब्यौरा इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में देने की अपेक्षा कर सकेगा।

46. पुलिस सेवा के लिए संदाय.— राज्य सरकार किसी व्यक्ति से, जो किसी धनीय लाभ के लिए ऐसा कोई भी व्यवसाय, जलसा, प्रदर्शनी, विक्रय, मनोरंजन इत्यादि आयोजित करता है जिसमें लोक सुरक्षा के प्रयोजन के लिए या लोक शांति या व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की आवश्यकता हो तो, ऐसा उपयोक्ता प्रभार उद्गृहीत कर सकेगी जो विहित किया जाये।

47. यातायात का विनियमन.— जिला पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में यातायात के प्रबन्ध के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यातायात का सहज और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मोटर चालकों, सइाकिल सवारों, पैदल चलने वालों और पशुओं के साथ चलने वाले व्यक्तियों के संबंध में लोक सड़कों या मार्गों के उपयोग का विनियमन करने के लिए और साइकिलों सहित यानों को पार्क करने का विनियमन करने के लिए समय-समय पर निदेश जारी कर सकेगा।

48. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम रक्षकों की सूचीबद्धता.— (1) जिला पुलिस अधीक्षक, अपने भारसाधन के अधीन किसी पुलिस जिले में किसी गांव या गांवों के समूह के लिए ग्राम रक्षक के रूप में कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति को विहित रीति से सूचीबद्ध कर सकेगा।

(2) स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसी सूचीबद्धता के समय तीस वर्ष से कम और पचपन वर्ष से अधिक आयु के न हों, और जो किसी गांव में या गांवों के समूह के मामले में उस समूह के किसी गांव में निवास करते हों, ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

(3) जिला पुलिस अधीक्षक सूचीबद्धता की प्रक्रिया में निम्नलिखित अधिमानता क्रम को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार का कर्मचारी, ऐसी सूचीबद्धता के लिए उसके विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए;

(ख) ऐसी सूचीबद्धता के लिए उसके कार्यालय के प्रधान के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए किसी स्थानीय निकाय या किसी भी अन्य संस्था का कर्मचारी जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली हो या उसके द्वारा सरवान रूप से नियंत्रित हो;

(ग) गृह रक्षा स्वयंसेवक;

(घ) भूतपूर्व सैनिक।

(4) किसी भी व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा, यदि—

(क) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(ख) उसके विरुद्ध कोई दाण्डिक अपराध का मामला दर्ज है और जो उसके विरुद्ध लम्बित है;

(ग) वह किसी राजनीतिक दल या उसके सहबद्ध दल का सदस्य है; या

(घ) वह ऐसी शैक्षिक अर्हता नहीं रखता हो जो विहित की जाये।

49. ग्राम रक्षकों की पदावधि.— ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष की होगी। यह पदावधि बढ़ायी या नवीकृत नहीं की जायेगी:

परन्तु किसी भी ग्राम रक्षक को उसकी सूचीबद्धता के चालू रहने के दौरान उसके समनुदेशन से हटाया जा सकेगा यदि वह धारा 48 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट अपात्रताओं में से कोई भी उपगत करता है या ग्राम रक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में उपेक्षा करता पाया जाता है।

50. ग्राम रक्षकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.— ग्राम रक्षकों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(क) ग्राम में किसी अपराध के होने या विधि और व्यवस्था की स्थिति की पुलिस थाने को शीघ्रता से रिपोर्ट करना और अपराधियों से जवाब-तलब करने में पुलिस की सहायता करना;

(ख) ग्राम में अपराध के निवारण और विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण को ध्यान में रखते हुए सामान्य चौकसी बनाये रखना और उसके बारे में पुलिस थाने को तुरन्त सूचना देना;

(ग) ग्राम में किसी संदिग्ध क्रियाकलाप, किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि या किसी षड्यंत्र के विकास की सूचना के बारे में, जिससे किसी अपराध के होने या विधि और व्यवस्था के भंग होने की सम्भावना हो, के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहना और ऐसी सूचना को तत्परतापूर्वक पुलिस थाने को प्रेषित करना;

(घ) किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में या उसके पास पाये गये किसी भी शस्त्र, गोला-बारूद, सम्पत्ति या किसी आक्षेपणीय वस्तु के साथ गिरफ्तार करने में और उसे पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करने में या, यथास्थिति उसे निकटतम पुलिस थाने ले जाने में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राइवेट व्यक्ति की सहायता करना:

परन्तु यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई महिला है तो पुरुष ग्राम रक्षक के साथ कोई महिला भी होगी;

(ङ) अपराध के किसी स्थल को सम्यक् रूप से यह सुनिश्चित करते हुए कि जिज्ञासु दर्शकों या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा उसमें विघ्न न डाला जाये, सुरक्षित करना और संरक्षित करना;

(च) ग्राम में ऐसे क्रियाकलाप और घटनाओं, जिनका अपराध, विधि और व्यवस्था या पुलिस से संबंधित अन्य मामलों पर असर पड़ सकता है, की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से इतने न्यूनतम अंतराल पर मिलना जो कि पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा विहित किया जाये;

(छ) विहित अभिलेखों और रजिस्टरों को संधारित करना;

(ज) पुलिस व्यवस्था से संबंधित किसी लोक व्यथा या शिकायत को अभिलिखित करना; और

(झ) ग्राम में अपराध और विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों पर ग्राम पंचायत से संपर्क बनाये रखना।

51. ग्राम रक्षकों को प्रशिक्षण.— पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम रक्षक के रूप में उसके शामिल किये जाने पर ऐसा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और ऐसी कालावधि के लिए दिया गया है जो पुलिस महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाये।

52. ग्राम रक्षक द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.— ग्राम रक्षक के रूप में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ऐसी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा जो विहित किया जाये।

53. ग्राम रक्षक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा.— (1) ग्राम रक्षक एक अवैतनिक कार्यकर्ता होगा और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) ग्राम रक्षक को ऐसा मानदेय और जेब से किया गया व्यय संदत्त किया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये।

54. ग्राम रक्षक की पहचान.— (1) प्रत्येक ग्राम रक्षक के लिए पहचान बैज और एक फोटो पहचान पत्र ऐसे प्ररूप और रीति से दिया जायेगा जो विहत की जाये।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक ग्राम रक्षक अपने कृत्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लगे रहने के दौरान पहचान बैज पहनेगा और अपने साथ फोटो पहचान पत्र रखेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो ग्राम रक्षक न रहे, अपना पहचान बैज और फोटो पहचान पत्र जिला पुलिस अधीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को तत्काल परिदत्त कर देगा।

55. समुदाय संपर्क समूह.— (1) जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित कर या अधिक समुदाय संपर्क समूह विहित रीति से गठित करेगा:

परन्तु प्रत्येक पंचायत के लिए कम से कम एक समुदाय सम्पर्क समूह गठित किया जायेगा।

(2) समुदाय सम्पर्क समूह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और उसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय 7

कल्याण और शिकायत निवारण

56. पुलिस कार्मिकों का कल्याण.— राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो समुचित समझे जायें।

57. पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए निधि.— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पुलिस कार्मिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के प्रयोजन के लिए निधियों का गठन कर सकेगी।

(2) निधियां ऐसी रीति से उपयोजित, प्रशासित और संपरीक्षित की जायेंगी जो विहित की जाये।

(3) निम्नलिखित राशियां निधियों में जमा की जायेंगी, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अनुदान;

(ख) पुलिस कार्मिक द्वारा निधि में किये गये अभिदाय; या

(ग) निधि के प्रयोजन के लिए किया गया कोई अन्य अनुदान, दान, उत्तरदान आदि।

58. पुलिस कल्याण ब्यूरो.— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पुलिस कार्मिकों के कल्याण के लिए अध्युपायों के क्रियान्वयन के लिए एक पुलिस कल्याण ब्यूरो स्थापित कर सकेगी।

(2) पुलिस कल्याण ब्यूरो की संरचना, कृत्य और उत्तरदायित्व ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

59. पुलिस कार्मिकों की शिकायत का निवारण.— (1) राज्य सरकार, पुलिस अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और प्रक्रिया विहित करेगी।

(2) ऐसा तंत्र, पुलिस जिला, पुलिस रेंज और पुलिस महानिदेशक स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, यदि वह अपनी शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट न हो तो कम से कम एक अपील करने का अधिकार हो।

अध्याय 8

सामान्य अपराध और शास्तियां

60. सड़क, इत्यादि पर कतिपय अपराधों के लिए दण्ड.— कोई व्यक्ति, जो किसी भी ऐसे कस्बे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये की सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क या खुले स्थान या आमरास्ते में निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचाने आदि निम्नलिखित अपराधों में से कोई भी अपराध करता है तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर पचास रुपये से अनधिक के जुर्माने या आठ दिन के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास का भागी होगा; और किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारन्ट के बिना अभिरक्षा में लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी दृष्टि में ऐसा कोई भी अपराध किया हो;

पशुओं का वध, उग्र सवारी इत्यादि-पहला-कोई व्यक्ति, जो किसी पशु का वध करता है या किसी पशुशव को साफ करता है; कोई व्यक्ति जो किसी पशु की अंधाधुंध या बेतहाशा सवारी करता है या चलाता है या किसी घोड़े या अन्य पशु को उग्रता से प्रशिक्षित करता है या फेरता है;

पशुओं के प्रति क्रूरता-दूसरा- कोई व्यक्ति, जो किसी पशु व बेलगाम रूप से या क्रूरतापूर्वक प्रहार करता है, दुरुपयोग करता है या उसे यातना देता है;

यात्रियों को बाधा पहुंचाना-तीसरा- कोई व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार के किसी पशु या वाहन को लदाई या उतराई के लिए या यात्रियों को बिठने या उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय तक खड़ा रखता है या जो किसी वाहन को ऐसे ढंग से छोड़ देता है जिससे जनता को असुविधा या संकट हो;

माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ना-चौथा- कोई व्यक्ति, जो किसी माल को बिक्री के लिए अरक्षित रूप से खुला छोड़ता है;

मार्ग में कचरा फेंकना-पांचवां- कोई व्यकित, जो गन्दगी, कूड़ा-करकट, मलबा या कोई पत्थर या भवन निर्माण सामग्री फेंकता है या गिराता है या जो किसी गोशाला, अस्तबल का या ऐसा ही कोई सन्निर्माण करता है या जो किसी गृह, कारखाने या गोबर डालने के स्थान से घृणोत्पादक पदार्थ निकलने देता है;

मत्त या बलवा करते हुए पाया जाना-छठवां-कोई व्यक्ति जो मत्त या बलवा करते हुए पाया जाये या जो स्वयं की देखरेख करने में असमर्थ हो;

शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन-सातवां-कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर और अशोभनीय रूप से अपने शरीर को या किसी भी संतापकारी निःशक्तता या रोग को अभिदर्शित करता है, या स्वयं के सुखाचार से या किसी तालाब या जलाशय में स्नान करके या कपड़े धोकर, जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् से निर्धारित स्थान न हो, उपताप कारित करता है।

संकटमय स्थानों को संरक्षित करने में उपेक्षा-आठवां-कोई व्यक्ति, जो किसी कुएं, तालाब या अन्य संकटमय स्थान या ढांचे में बाड़ लाने या सम्यक् रूप से संरक्षित करने में उपेक्षा करता है।

61. पुलिस वर्दी का अप्राधिकृत उपयोग.— जो कोई भी पुलिस अधिकारी न होते हुए राज्य सरकार या यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किए बिना पुलिस वर्दी या ऐसी कोई पोशाक, जो उस वर्दी के रूप की है या जिस पर उसके कोई सुभिन्न चिह्न अंकित हैं, पहनता है तो वह दोषसिद्धि होने पर छह माह से अनधिक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

अध्याय 9

पुलिस की जवाबदेही

62. पुलिस की जवाबदेही.— (1) राज्य सरकार, यथासंभव शीघ्र एक राज्य पुलिस जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे "राज्य समिति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए जिला जवाबदेही समिति (जिसे इसमें इसके आगे "जिला समिति" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) स्थापित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक और जेब से किये गये व्यय का संदाय किया जा सकेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करें।

63. राज्य समिति.— (1) राज्य समिति में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे:—

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति:
परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस महानिदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी उसके सदस्य-सचिव के रूप में होगा;

(ग) राज्य सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को राज्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) राज्य समिति को ऐसी सचिवीय सहायता उपलब्ध करवायी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

64. राज्य समिति के कृत्य.— राज्य समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध "घोर अवचार" के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या जिला समिति से प्राप्त किसी शिकायत पर, जांच करना;

(ख) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें; या

(ग) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, उसके द्वारा जांच किये गये किसी मामले में राज्य सरकार को सिफारिशें करना।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए "घोर अवचार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(I) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लोप या करण का ऐसा कोई असद्भाविक कार्य जो-
(i) घोर अपहति,
(ii) अवैधनिरोध, या
(iii) ऐसे किसी भी अपराध, जिसके लिए विधि में विहित अधिकतम दण्ड दस वर्ष या उससे अधिक है-
में परिणत होता है या उसकी कोटि में आता है; या

(II) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उद्दापन।

65. राज्य पुलिस जवाबदेही समिति की शक्तियां.— राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय को वाद का विचारण करते समय होती है, अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के पेश किये जाने के लिए बाध्य करना; और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,

और समिति के समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193, 196 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

66. जिला समिति.— जिला समिति में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित पांच सदस्य होंगे-

(क) लोक संव्यवहार में अनुभव रखने वाले सुविख्यात और एकता में विश्वसनीय अभिलेख और स्वतंत्र सदस्यों के रूप में मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले चार व्यक्ति:
परन्तु एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्ग से और एक महिलाओं में से होगा।

(ख) अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति का एक अधिकारी इसके सदस्य-सचिव के रूप में होगा;

(ग) राज्य सरकार, स्वतंत्र सदस्यों में से किसी एक को जिल समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

67. जिला समिति के कृत्य.— जिला समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी:—

(क) अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस कार्मिक के विरुद्ध "घोर अवचार" के अभिकथनों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत पर जांच करना और अपनी सिफारिशें सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजना:
परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर विनिश्चय करेगा और विनिश्चय की प्रति समिति को भी सूचना के लिए भेजेगा;

(ख) अधीनस्थ पंक्तियों के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांचों को मॉनिटर करना; या

(ग) पर्यवेक्षण पंक्ति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त की गयी शिकायतों और ऐसे अन्य मामलों, जिन्हें वह ठीक समझे, को राज्य समिति को निर्दिष्ट करना।

68. समितियों के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि.— (1) राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी और कोई भी स्वतंत्र सदस्य उसकी समिति में दूसरी अवधि के लिए नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य समिति या जिला समिति के किसी भी स्वतंत्र सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह धारा 69 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता उपगत कर लेता है या वह स्वतंत्र सदस्य के रूप में उस पर व्यादिष्ट कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है।

69. स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए निरर्हता.— कोई व्यक्ति, राज्य समिति के या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, या जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तवर्लित किसी अपराध के आरोप विरचित किये हैं;

(ग) किसी भी लोक सेवा से पदच्युत, हटाया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है;

(घ) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है;

(ङ) विकृत चित्त है; या

(च) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल या स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है या किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संसक्त किसी संगठन का पदाधिकारी है या रहा है या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध किसी संगठन का सदस्य है या रहा है।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

70. कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां.— (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस के साथ जिला प्रशासन की अन्य एजेन्सियों के कृत्यकरण का निम्नलिखित से संबंधित मामलों के संबंध में समन्वय करना विधिपूर्ण होगा:-

(क) जिले में लोक शांति और प्रशांति में विघ्न;

(ख) भूमि विवादों का निपटारा;

(ग) किसी भी लोक निकाय के निर्वाचनों का संचालन;

(घ) प्राकृतिक आपदाओं से निपटना और उसके द्वारा प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना;

(ङ) किसी भी बाह्य आक्रमण क्या आंतरिक उपद्रवों से उत्पन्न होने वाली स्थितियां;

(च) ऐसा ही कोई मामला, जो किसी एक विभाग के क्षेत्र में नहीं है और जिले की जनता के सामान्य कल्याण को प्रभावित करता है; और

(छ) किसी भी लोक शिकायत को दूर करना।

(2) उप-धारा (1) में दिये गये मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस या अन्य एजेंसियों द्वारा स्थितियों के बारे में कार्यवाही करने में किए गए उपायों के बारे में रिपोर्ट मंगवा सकेगा और उस मामले के संबंध में पुलिस को और संबंधित एजेंसी को ऐसे निदेश प्रदान करेगा जो उसके (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा आवश्यक समझे जायें।

71. नियम बनाने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए रखे जाएंगे जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं या इसके ठीक बाद आने वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व, राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात् ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशिता किया जाएगा।

72. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.— (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध, जिन्हें वह कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन समझें, बना सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी होने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

73. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम सं. 5) राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में और राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश, 1949 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया निरसन, इस प्रकार निरसित अधिनियमित के पूर्व प्रवर्तन और ऐसी अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन की गयी किसी बात या की गयी कार्रवाई या की गयी या की गई समझी गई बात या कार्रवाई (जिसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन या जारी की गई अधिसूचना, आदेश, निदेश यां जारी किया गया नोटिस बनाये गये विनियम या नियम सम्मिलित हैं), पर उस सीमा जिस तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जाएगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए, कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

□□□